

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क.135/आर.एस.एस./निर्माण /2022

सिस्टम टेन्डर नं 97418
ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कोरबा, दिनांक 18/04/2022

लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सड़क श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा (भवन) दिनांक 01.01.2015, (सड़क) दिनांक 01.01.2015, (विद्युत) दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूचि पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर निविदा प्रपत्र "अ" में तथा नॉन एस.ओ.आर. दर के शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर निविदा प्रपत्र "ब" निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि लाख में	घरोहर राशि रु में	कार्याविधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	नगर पालिक निगम कोरबा अंतर्गत मानिकपुर पोखरी ईको पार्क का सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य।	1086.49	500000 /-	18 माह (वर्षा ऋतु सहित)	वर्ग -ए	11.05.2022 से

शर्तें:-

- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीट) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी, आयकर प्रमाण पत्र/पैन नम्बर, जी.एस.टी., बैंक साल्वेंसी प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि तथा निविदा प्रपत्र के अनुसार अन्य सभी संबंधित आवश्यक दस्तावेज की स्पष्ट स्कैन कॉपी ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा, प्रशिक्षित यंत्री एवं गार्डन संबंधित कार्यों हेतु प्रशिक्षित क्यूरेटर/सुपरवाइजर नियुक्त करने तथा उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी संबंधी प्रमाण पत्र कर्मचारी भविष्य निधि रायपुर से पंजीकरण का कोड एवं घरोहर राशि का स्पष्ट स्कैन कॉपी ऑन लाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं 5 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में से 03 वर्ष के लिए रोक़ी जावेगी।
- जिन निविदाकारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे।
- निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन शक्त के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में पैघ शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।
- निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदुत्तरगत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- ठेकेदार को सभी सस्की टेस्टिंग इन्स्ट्रुमेंट एवं लेबोरेट्री कार्य स्थल पर कार्यादेश के 15 दिवस के भीतर स्थापित करना अनिवार्य होगा तथा स्थापित कर अप्रोव्हाइसर्स को सूचित करना होगा।
- ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाइंग एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
- हार्डिकल्चर अंतर्गत किये जा रहे कार्यों यथा कार्पेट ग्रास तथा अन्य गार्डन संबंधी पेड़-पौधों का रख रखाव तथा कीट नाशक छिड़काव तथा अन्य संबंधी हार्डिकल्चर कार्य, कार्यपूर्णता दिनांक से 01 वर्ष तक स्वयं के व्यय से करना अनिवार्य होगा।
- सभी संबंधित सिविल कार्य यथा निर्मित भवनों का संधारण कार्य, स्टाम्प कांस्ट्री कार्य, समस्त बिजली संबंधित कार्य, खेलकूद जिम सस्की उपकरण, फाउंटेन कार्य एलईडी बोर्ड का कार्य पंप-पानी पाईप लाईन सस्की कार्य एवं अन्य कार्यों का संधारण 3 वर्ष तक करना अनिवार्य होगा।
- कार्य स्थल में अवरोधक आ रहे वृक्षों का सर्वे कर हटाने हेतु अनुमति सस्की सभी कार्य निविदाकार को अपने स्वयं के व्यय से वन विभाग एवं जिला कलेक्टर कार्यालय से कार्यादेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर लेना अनिवार्य होगा।
- प्रयुक्त लोहा का बिल एवं टेस्ट रिपोर्ट तथा प्रयुक्त सीमेंट का बिल संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- निविदा दरों असमान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीय बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समवाक्य में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर संपूर्ण कार्य स्थल का विस्तृत टी.एस. / डी.जी.पी.एस. सर्वे कराकर सर्व संबंधी डेटा एवं दस्तावेज कम्प्यूटर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कार्य स्थल में अवरोधक आने वाले विद्युत पोतों का सर्वे कर हटाने हेतु अनुमति सस्की सभी कार्य निविदाकार को अपने स्वयं के व्यय से जिला विद्युत विभाग से कार्यादेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर करना होगा।
- निविदा अक्षरवाचक होना एवं सफल निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा के सफल होने की किसी अवसर को विचार देने की स्थिति में अनुपुक्ता, नगर पालिक निगम कोरबा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

18. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम, कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा।
19. न्यूनतम निविदा राशि का निर्धारण निविदा प्रपत्र "अ" प्रतिशत दर पर एवं निविदा प्रपत्र "ब" आईटम दर पर प्राप्त निविदा राशियों के योग (Cumulative Amount) से प्राप्त न्यूनतम राशि के आधार निर्धारित की जावेगी।
20. समस्त प्रतिस्पर्धी निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि निविदा में भाग लेने के पूर्व प्रस्तावित कार्य स्थल का अनिवार्य रूप से निरीक्षण कर लें।
21. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित निर्माण शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं।



अधीक्षक अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

प्रतिलिपि- प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को www.uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		16.04.22	10.30	18.04.22	10.30	Release Tender
2	Pre Bid Meeting		28.04.22	11.30	28.04.22	12.30	At Saket Bhawan MIC Room Municipal Corpaortion Korba (C.G.)
3		Bid Submission	18.04.22	10.30	10.05.22	17.30	
4	Tender Open		11.05.22	10.30	--	--	



**SUPERINTENDING ENGINEER
KORBA (CG)
For, Commissioner Korba (C.G.)**